

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

W 63655!

क्षेत्राधिकार कार्यालय उपनिबन्धक 1, बरेली ।
लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण

लेखपत्र का प्रकार (बिनामा/इनामा/तौसीह म्याद/अन्य) - बिनामा
विक्रीत सम्पत्ति के सेगमेंट का नाम - अर्द्धनगरीय क्षेत्र/पेज नं. 19/क्र. 130/6/बी.
कोड 1050

1. भूमि का प्रकार - कृषि भूमि
2. वार्ड परगना - बरेली
3. मोहल्ला/ग्राम - नरियावल
4. सम्पत्ति का विवरण - खेत नम्बर 552, 553, 554, 576, 578, 580, 581, 582
5. मापन की इकाई (हेक्टेयर/वर्गमीटर) - है०
6. सम्पत्ति का क्षे.-तीन बीघा ग्यारह विस्वा पुख्ता में से अपना-अपना कुल हिस्सा यानि एक बीघा तीन विस्वा दस विस्वान्सी खाम यानि 0.0746 है० यानि 746 वर्गमी०
7. सम्पत्ति का प्रकार-प्लॉट/पलैट/मकान/दुकान/कृषि - कृषि
8. विक्रय मूल्य 9,00,000/- रुपये सरकारी कीमत 37,30,000/- रुपये
9. हद्दअवली - कुल खेत नम्बरान
 पूरब - खेत नम्बर 583, 585, 577, 570, 569 व 556
 पश्चिम - खेत नम्बर 551, 550, 542, 543, 539, 536
 उत्तर - रास्ता 18 फिट चौड़ा खाम
 दक्षिण - खेत नम्बर 517, 516, 511

प्रथम पक्ष की संख्या -2

कल्लू पुत्र स्व० राम स्वरूप व श्रीमती रुकमणि
पत्नी स्व० राधेश्याम खुद व वहैसियत सरक्षिका
माता सगी नाबालिगान राहुल व सोनपाल आयु
क्रमशः 9 वर्ष व 5 वर्ष पुत्रगण स्व० राधेश्याम
निवासीगण ग्राम नरियावल, पर तह. व जिला बरेली


द्वितीय पक्ष की संख्या -1
काम्पीटेन्ट बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स
268, मैकनियर रोड प्रेमनगर बरेली
द्वारा पार्टनर राजकुमार खण्डेलवाल
पुत्र श्री जगदीश सरन खण्डेलवाल
निवासी 116 सिविल लाइन्स बरेली
फोन नं० - AAJFC-9715

सि. डी. ओ. लेंड

सि. डी. श्रीमती रुकमणि



सि. डी. ओ. लेंड



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



६ ६६६६६६

E 686166

30 JUL 2008
बरेली-११



S. B. Saxena
Advocate
Jail Road Bareilly



क्षेत्राधिकार उपनिबन्धक । बरेली कृषि भूमि अर्द्धनगरीय क्षेत्र दर भूमि 5,000/- रुपये प्रति वर्गमी. है. विक्रय खेत राष्ट्रीय राज्यमार्ग व जनपदीय मार्ग व लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है शत्रु, नजूल, चर्च, वकफ की सम्पत्ति नहीं है । विक्रेता अनुसूचित जाति एवं जनजाति का नहीं है, विक्रेता क्रेता भारतीय नागरिक हैं । शासनादेशसं० 2756/11-2000-500/07 दिनांक 30 जून सन 2008 के अनुसार स्टाम्प अदा किया गया है ।




S. K. Singh



S. K. Singh 4/10

[Signature]





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

₹ 686167

E 686167


कार्यालय
- 6 JUL 2015
- 14

(2)

विक्रय मूल्य 9,00,000/- रुपये, सरकारी कीमत 37,30,000/- रुपये,
स्टाम्प 2,61,500/- रुपये



D. 08/08/15


D. 08/08/15









उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 686168

E 686168


कार्यालय
- 6 JUL 2015
सहायक न्यायाधीश

(3)

हम कि कल्लू पुत्र स्व० राम स्वरूप व श्रीमती रूकमणि पत्नी स्व० राधेश्याम खुद व वहैसियत संरक्षिका माता संगी नाबालिगान राहुल व सोनपाल आयु क्रमशः 9 वर्ष व 5 वर्ष पुत्रगण स्व० राधेश्याम निवासीगण ग्राम नरियावल, पर. तह. व जिला बरेली के हैं विक्रेतागण



D. On 2/2/15


D. नरियावली









उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 686169



(4)

मुकदमा नम्बर एक मे स्वयं व मुकदमा नम्बर दो ने खुद व ब्रह्मसियत संरक्षिका के अपनी खुशी से व दुरुस्ती होश व हवास में बिना किसी जबर व दबाव के खूब सोचकर व समझकर आराजी भूमिधरी नम्बरान व रकवई जैल बाकै ग्राम नरियावल, पर. तह. व जिला बरेली महदूदा जैल ममलूका मकबूजा तन्हा अपनी जिस पर हम मुकदमान ब्रह्मसियत संक्रमणीय भूमिधर के अब तक तन्हा विला शरकत गैरे मालिक व काबिज बले आते हैं तथा हमारा नाम कागजात

डॉ. अमल




डॉ. रतनजी

Ratnaji







उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

₹ 25,000

E 686170



(5)


स्वरकारी में बतौर ट्रारिस मुकिर नम्बर एक स्व० राम स्वरूप व मुकिर नम्बर दो स्व० राधेश्याम के विधिवत रूप से दर्ज है । आराजी भूमिधरी मजकूर कहीं मकफूल व मुत्तकिल देनदार किसी मुतालवा व मुआवजा वक्फ व जमानत व कुर्की कर्जेजात सरकारी व गैर सरकारी इक्यूटेबिल मार्गेज बंधक दान पत्र आदि में नहीं है और न ही आराजी काश्त पर किसी भी बैंक व संस्था से लोन लिया है और न ही किसी भी शख्स को कोई अधिकार पत्र दिये हैं और न ही


D. Chatterjee


D. Anandji





उत्तर प्रदेश, UTTAR PRADESH

E 686171


कार्यालय
- 6 JUL 2013
मुद्रा

(6)


आराजी काशत की ब्रावत किसी भी न्यायालय में कोई बाद् लम्बित है और न चल रहा है आराजी भूमिधरी भजकूर सब तरह से पाक व साफ है इन सब बातों की जिम्मेदारी अपने इतमिनान पर क्रेता को दिलाकर साथ सब हहूद व हकूक मिराफिक दाखिली व खारजी के बिल ऐवज मुवलिंग 9,00,000/- के


D. शर्मा


D. शर्मा







उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 686172


3 मुख्य
आवालय
- 6 JUL 2015
बरेली - 11 *


(7)

बदस्त काम्पीटेन्ट बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स 268, मैकनियर रोड प्रेमनगर बरेली द्वारा पार्टनर राजकुमार खण्डेलवाल पुत्र श्री जगदीश सरन खण्डेलवाल निवासी 116 सिविल लाइन्स बरेली (पैन नम्बर AAJFC9715R) क्रेता को व जरूरत इखराजात जायज व मिलने कीमत मुनासिब के कतई बेच डाली और वय कतई कर दी जरे समन तमाम व कमाल हस्व तहरीर बैनामा लेखानुसार वसूल पाकर आराजी भूमिधरी मजकूर पर क्रेता को मालिक व काबिज कर दिया अब हमारा व वारिसान व कायम मुकामान हमारे का


B. अग्रवाल


B. अग्रवाल



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 686173

E 686173


मुख्य
- 6 JUL 2015
* नैली 11 *


(8)

आराजी भूमिधरी में कोई हक व मिल्क किसी किस्म का बाकी नहीं रहा और न आइन्दा को होगा वय कामिल तौर पर नाफिज हो गयी तकाबिजुल बदलैन अमल में आ गया यह शर्त साफ तौर पर करार पायी कि सानी उलहाल अगर कोई सहीम शरीक हिस्सेदार किफालतदार उज्रदार हकदार दावेदार या अन्य कोई शख्स पैदा होकर दावा आराजी भूमिधरी मजकूर की बावत करे और उसके दावे से जुज या कुल कब्जा क्रेता से निकल जावे तो क्रेता को अख्यार वापसी जरे समन मय हर्जा व खर्चा जात व दीगर जायदाद हर किस्म हमारी


D. O. 11 & 12


D. O. 11 & 12



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 686174

E 686174


कार्यालय
- 6 JUL 2015
* चरौली - 11 *

(9)

से हासिल होगा प्रश्नमत्त सम्पत्ति का पूर्व में कोई बैनामा नहीं किया गया है और न ही उक्त सम्पत्ति का अन्य किसी के पक्ष में इकरारनामा मुहायदावय व वसीयतनामा व दानपत्र व मुख्तयारनामा किया गया है भूमि का स्वामित्व कब्जा व चौहद्दी में कोई विवाद नहीं है शय मुवैया हाजा की सीमाओं में कोई वाणिज्यिक/व्यवसायिक गतिविधि विद्यमान्य नहीं है । लिहाजा यह बैनामा कतई लिख दिया कि सनद हो और समय पर काम आवे ।


(G. K. S.)


(B. S. S.)




10.11.2019 10:11:20 AM



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 686175

कार्यालय
- 6 JUL 2015
* इलेक्ट्रॉनिक *
प्रत्यक्ष

(10)

तफसील सम्पत्ति — आराजी भूमिधरी नम्बरान व रकवई जैल वाकै ग्राम नरियावल, पर0 तह0 व जिला बरेली चक संख्या 429


नम्बरान	रकवा	पुख्ता
552	बारह	विस्वा 126
553	दस	विस्वा 105
554	दस	विस्वा 105
576	तीन	विस्वा 32
578	चौदह	विस्वा 147
580	छः	विस्वा 37
581	आठ	विस्वा 80
582	आठ	विस्वा 80

कुल आठ किता कुल रकवा तीन बीघा ग्यारह विस्वा पुख्ता में से अपना-अपना कुल हिस्सा यानि एक बीघा तीन विस्वा दस विस्वान्सी खाम यानि 0.0746 है0 यानि 746 वर्गमी0 भूमि विक्रय की।


Dr. Anand


Rajendra Singh


Rajendra Singh



7-52



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 44107

BF 44107

(11)

- 9 JUL 2011

* 11 JUL 2011

हददअर्वा - कुल खेत नम्बरान

- पूरब - खेत नम्बर 583, 585, 577, 570, 569 व 556
पश्चिम - खेत नम्बर 551, 550, 542, 543, 539, 536
उत्तर - रास्ता 18 फिट चौड़ा खाम
दक्षिण - खेत नम्बर 517, 516, 511

घोषणा

हम पक्षकार घोषित करते हैं कि विक्रीत सम्पत्ति मूल्यांकन सूची के प्रथम भाग क्षेत्राधिकार में वर्णित अर्द्धनगरीय क्षेत्र के दिये गये सीमांकन के अन्तर्गत स्थित है। विक्रीत सम्पत्ति शाहजहांपुर रोड से 800 मीटर की दूरी पर स्थित है। मूल्यांकन सूची के पृष्ठ संख्या 19 के क्रमांक 130 के कॉलम 6/बी. कोड 1050 में निर्धारित दर के अनुसार गणना कर स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है। प्रलेख में दिये गये विवरण की पूर्ण जिम्मेदारी हम पक्षकारों की होगी। धारा 27 स्टाम्प अधिनियम का पूर्ण पालन किया गया है।


D. J. J.


D. J. J.








उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 4406


(12)



तफसील जरे समन — द्वारा चैक नम्बर 088167 दिनांक 08.06.2015 कीमती 1,00,000/- रूपये व द्वारा चैक नम्बर 088185 दिनांक 13.07.2015 कीमती 3,50,000/- रूपये द्वारा क्रेता ने विक्रेता के खाता संख्या 56240100006287 में आरटी0जी0एस0 किये व द्वारा चैक नम्बर 088170 दिनांक 08.06.2015 कीमती 1,00,000/- रूपये व द्वारा चैक नम्बर 088183 कीमती 1,00,000/- रूपये दिनांक 13.07.2015 द्वारा क्रेता ने विक्रेता के खाता संख्या 56240100006240 में आरटी.जी.एस. किये व एफ.डी.आर. जिसकी रसीद संख्या 465147 दिनांक 09.07.2015 खाता संख्या 42600300000261 कीमती 1,25,000/- रूपये व एफ.डी.आर. जिसकी रसीद संख्या 465146


D. Onkar


D. Onkar








विशेषता :- कालवृद्ध व श्री मती कलकामाजी अणुद व वसुदेवका

कुला :- आम्पोट्टे द्वारा पालिया राजकुमार अणुदकाल 30

वाक :- मरिभाकल वेली

वसुदेव नो. :- 552, 553, 554, 576, 578, 580, 581, 582

होतकल :- 0.0746 हे० धादि 746 मी० अपना अपना कुल
दिलेला



डि. डा. कालवृद्ध



श्री. डा. कलकामाजी अणुदकामाजी



Prislemo





2681
1080
10-7-15

आज दिनांक 16/07/2015 को
वही सं. 1 जिल्द सं. 7322
पृष्ठ सं. 387 से 416 पर क्रमांक 7936

रजिस्ट्रार
विशेष विज्ञापन
नं०-314-रजिस्ट्री आफिस
बरेली

आज दिनांक 16/07/2015 को

वही सं. 1 जिल्द सं. 7322

पृष्ठ सं. 387 से 416 पर क्रमांक 7936

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रार अधिकारी के हस्ताक्षर

रामवीर सिंह यादव प्र०

उप निबन्धक प्रथम

बरेली

16/7/2015



जो0 च0 आकार-पत्र 41

(नियम 93)

५३

तुलनात्मक खसरा (फर्द मुताबकत)

गाँव- नर्यावल परगना- जरेली तहसील- जरेली जिला- जरेली

नई संख्या	क्षेत्रफल	पुरानी संख्या	क्षेत्रफल	नयी खाता खतौनी संख्या	पिछले बन्दोबस्त की भूमि श्रेणी (Soil Class)	सिंचाई का साधन	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
		६१०फ.	०.०४६		डुमट अक्वल खाकी	कुप	
		६११फ.	०.०६०		डुमट अक्वल खाकी	कुप	
		६१२	०.०३८		डुमट अक्वल खाकी	कुप	
		६१३फ.	०.१००		डुमट अक्वल खाकी	कुप	
		६१६	०.०३८ ०.०६५		डुमट अक्वल खाकी	बोरिंग	
२६४	०.०६९	४६६	०.०६९	१०८	डुमट सायम खाकी	-	परती ३२८ ०.०६९
२६५	०.१०१	४६०	०.१०१	१८४	डुमट सायम खाकी	-	परती ४१८ ०.१०१
२६६	०.११४	४६६	०.११४	१४२	डुमट सायम खाकी	-	परती ६१२ ०.११४
२६६	०.१६६	४६८	०.१६६	१४२	डुमट सायम खाकी	-	परती ४२५ ०.१६६
२६८	०.१४२	४४२	०.१४२	१४२	डुमट सायम खाकी	-	परती ४२५ ०.१४२
२६९	०.१२९	४४३	०.१२९	१४२	डुमट सायम खाकी	-	परती ४२५ ०.१२९
३००	०.१२९	४४४	०.१२९	१४२	डुमट सायम खाकी	-	परती ४२५ ०.१२९
३०१	०.०६९	४४५	०.०६९	११६	डुमट सायम खाकी	-	परती २६ ०.०६९
३०२	०.०८८	४४६	०.०८८	१८४	डुमट सायम खाकी	-	परती ४१८ ०.०८८
३०३	०.०६३	४६८	०.०६३	१६५	डुमट सायम खाकी	-	परती ४६५ ०.०६३
३०४	०.०४०	४४८	०.०४०	१६४	डुमट सायम खाकी	-	परती ४३५ ०.०४०
जित	१.१४६						
अजित	१.१४६		सिंचित		असिंचित	शांजित	१.१४६

चकबन्दी लेखपाल के हस्ताक्षर

चकबन्दीकर्ता के हस्ताक्षर

सहायक चकबन्दी अधिकारी के हस्ताक्षर

विशेष सूचना :- स्तम्भ 5 नई खतौनी तैयार हो जाने पर भरा जायेगा ।

पी0एस0यू0पी0 (आर0आर0)-13 चकबन्दी--1-12-07--2,50,000 प्रतिशत: (फग्वट/आफसेट) ।

जोत चकबन्दी आकार पत्र 45 का उद्धरण

(अधिनियम की धारा 27 के अर्धान तैयार की गई खतौनी)

परताना: बरैली तहसील: बरैली जिला: बरैली

क्र. संख्या	खतेदार का नाम, पितृ नाम तथा निवास-स्थान	जोत प्रारम्भ होने का वर्ष	नया गांव संख्या	क्षेत्रफल	खतौदार द्वारा देय मालगुजारी का लगान	विशेष विवरण
		3	4	5	6	7
1	कांभूपिन्ट इन्फार्सीटी प्रो. लि. द्वारा आधीलत प्रतियोगिता विनोद खण्डलवाल पुत्र जाटपपी खण्डलवाल लि. की - 7 अगदीशपुरम विहार बरैली, आम्पीन्ट स्टार कन्सल्टेशंस प्रा. लि. डी. 55 आफीस पी 6/14 जी. डी. 510 पुरम द्वारा टायरपट्टर राजकुमार खण्डलवाल पुत्र अगदीश सरन खण्डलवाल लि. 116 सिधिया बरैली काम्पिटिव मिलडल खण्डलवाल 268 मेकनियर सीड प्रमनगर बरैली द्वारा पार्टनर 21 अकुमार खण्डलवाल पुत्र - अगदीश सरन खण्डलवाल लि. 116 सिधिया लाइन बरैली		223 घ 228 226 256 252 258 300 6 कि०	0.066 0.202 0.032 0.966 0.992 0.928 0.928 0.286		828
	रतन 250					





भूखेख - खतौनी
राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश

उखरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

24/June/2025 06:44:27 PM

जनपद : बरेली

तहसील : बरेली

ग्राम : नरियावल

ग्राम कोड : 130427

फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024)

खाता संख्या : 00124

श्रेणी : 1-क/भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो।

खसरा/ गाटा संख्या	खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश	
	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) वर्ष	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे०)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में(हे०)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
297	1) काम्पौटेन्ट-इन्फासिटीप्रा0लि0डा0 विनोद खण्डेवाल / आर.पी. खण्डेवाल / नि. बी 7 जगदीश पुरम विहार बरेली				297 (1304270297000012)	0.1770		0.00

2) काम्पौटेन्ट स्टार क0प्रा0लि0डा0राजकुमार
खण्डेवाल / जगदीश सरन खण्डेवाल / नि. 116
सिविल लाइन्स बरेली

3) काम्पौटेन्टबिल्डर्स एं. डेवलपर्स
राजकुमारखण्डेवाल / जगदीश सरन खण्डेवाल
/ नि. 116 सिविल लाइन्स बरेली

कुल गाटे : एक

कुल क्षेत्रफल : शून्य दशमलव एक सात शून्य (हेक्टयर)

कुल भू-राजस्व : शून्य दशमलव शून्य शून्य रुपये

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण

खारिज किया गया

दर्ज किया गया

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम (पदनाम) / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	नाम/पिता-पति-संरक्षक-बंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	क्षेत्रफल(हे०)	नाम/पिता-पति-संरक्षक-बंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	क्षेत्रफल(हे०)

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद की कम्प्यूटरीकृत संख्या

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण :

- 1) 1429फ० न्यायालय उपजिलाधिकारी मण्डल लखनऊ जनपद, लखनऊ तहसील लखनऊ वाद सं० 81/2016 व कम्प्यूटरीकृत वाद सं० t202110460204032 काम्प्यूटेन्ट रदार कन्स्ट्रक्शन प्रा०लि० बनाम उ०प्र०सरकार अंतर्गत धारा - 144 अधिनियम - उ०प्र०ज०वि०भू०व्य०अधि०नियम 1950 दिनांक 23.12.21 को आदेश हुआ कि न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर बरेली द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.9.2014 विधि एवं न्यायसंगत होने के कारण बहाल किया जाता है। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर बरेली द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.9.2014 इस आदेश का अंग रहेगा। हर०क० 15.1.22/15.1.22
- 2) 1429फ० न्यायालय उपजिलाधिकारी मण्डल लखनऊ जनपद, लखनऊ तहसील लखनऊ वाद सं० 84/2016 व कम्प्यूटरीकृत वाद सं० t202110460204036 काम्प्यूटेन्ट इन्फ्रासिटी प्रा०लि० बनाम उ०प्र०सरकार अंतर्गत धारा - 144 अधिनियम - उ०प्र०ज०वि०भू०व्य०अधि०नियम 1950 दिनांक 23.12.21 को आदेश हुआ कि न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर बरेली द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.9.2014 विधि एवं न्यायसंगत होने के कारण बहाल किया जाता है। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर बरेली द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.9.2014 इस आदेश का अंग रहेगा। हर०क० 15.1.22/15.1.22

- 3) 1431फ० न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर बरेली। पत्रांक - 106/रा०अह० - 2023 दिनांक - 17.11.2023 वाद सं० - t2022121311014919 धारा - 80 उ०प्र०राजस्व संहिता 2006 ग्राम - नरियावल पर०तह० व जिला बरेली। काम्प्यूटेन्ट लि०प०ड० बनाम उ०प्र०सरकार । तहसीलदार सदर बरेली । ग्राम नरियावल परगना व तहसील व जिला बरेली स्थित वादग्रस्त भूमि गाटा संख्या 37/0.3030हे० में से 0.0170हे० व 83/0.0630हे० में से 0.0030हे० व 85/0.0500हे० में से 0.0030हे० व 89/0.1580हे० में से 0.0100हे० व 92/0.0630हे० में से 0.0030हे० व 93/0.0880हे० में से 0.0050हे० व 179/0.1010हे० में से 0.0060हे० व 38/0.1260हे० में से 0.0280हे० व 51/1.8710हे० में से 0.1780हे० में से 0.0727हे० व 70/0.1510हे० में से 0.0330हे० व 71/0.0250हे० में से 0.0060हे० व 72/0.0630हे० में से 0.0140हे० व 73/0.0880हे० में से 0.0180हे० व 97/0.0760हे० में से 0.250हे० व 107/0.1140हे० में से 0.0380हे० व 169/0.7080हे० में से 0.3750हे० व 170ख/0.1140हे० में से 0.0380हे० व 172/0.0760हे० में से 0.0250हे० व 174/0.1140हे० में से 0.0380हे० व 180/0.1010हे० में से 0.0340हे० व 182/0.1130हे० में से 0.0380हे० व 181/0.1520 में से 0.0760हे० व 230/0.2150हे० में से 0.1080हे० व 256/0.1650हे० में से 0.0830हे० व 270/0.0630हे० में से 0.0310हे० व 265/0.0630हे० में से 0.0315हे० व 267/0.0630हे० में से 0.0315हे० व 271/0.0500हे० में से 0.2460हे० व 283घ/0.0760हे० में से 0.0450हे० व 284/0.2020हे० में से 0.1180हे० व 287/0.0380हे० में से 0.0220हे० व 297/ 0.1770हे० में से 0.1030हे० व 298/0.1520 में से 0.0340हे० व 299/0.1260हे० में से 0.0880हे० व 299/0.1260हे० में से 0.0740हे० में से 0.0740हे० व 300/0.1260हे० में से 0.0740हे० व 304/0.0500हे० में से 0.0250हे० कुल 38 किता कुल रकवा 2.1887 हे० सम्बन्धी उपरोक्त वाद में इस न्यायालय के आदेश दिनांक - 9.11.2023 अनुसार निम्न आदेश पारित किया गया है - तहसीलदार सदर, बरेली की आख्या दिनांक 10.08.2023 से सहमत होते हुये ग्राम नरियावल परगना व तहसील व जिला बरेली स्थित वादग्रस्त भूमि गाटा संख्या 37/0.3030हे० में से 0.0170हे० व 83/0.0630हे० में से 0.0030हे० में से 0.0030हे० व 85/0.0500हे० में से 0.0030हे० व 89/0.1580हे० में से 0.0030हे० व 93/0.0880हे० में से 0.0050हे० व 97/0.0760हे० में से 0.0250हे० व 107/0.1140हे० में से 0.0380हे० व 169/0.7080हे० में से 0.3750हे० व 170ख/0.1140हे० में से 0.0330हे० व 171/0.0250हे० में से 0.0060हे० व 72/0.0630हे० में से 0.0140हे० व 73/0.0880हे० में से 0.0180हे० व 97/0.0760हे० में से 0.0380हे० व 180/0.1010हे० में से 0.0380हे० व 181/0.1520 में से 0.1080हे० व 230/0.2150हे० में से 0.0310हे० व 256/0.1650हे० में से 0.0310हे० व 265/0.0630हे० में से 0.0310हे० व 267/0.0630हे० में से 0.0310हे० व 270/0.0630हे० में से 0.0310हे० व 271/0.0500हे० में से 0.0310हे० व 272/0.0760हे० में से 0.0310हे० व 283घ/0.0760हे० में से 0.0450हे० व 284/0.2020हे० में से 0.0310हे० व 287/0.0380हे० में से 0.0310हे० व 297/ 0.1770हे० में से 0.0310हे० व 298/0.1520 में से 0.0310हे० व 299/0.1260हे० में से 0.0310हे० व 300/0.1260हे० में से 0.0310हे० व 304/0.0500हे० में से 0.0310हे० कुल 38 किता कुल रकवा 2.1887 हे० सम्बन्धी उपरोक्त वाद में से 0.0740हे० व 300/0.1260हे० में से 0.0740हे० व 304/0.0500हे० में से 0.0250हे० व 297/ 0.1770हे० में से 0.1030हे० व 298/0.1520 में से 0.0880हे० व 299/0.1260हे० में से 0.0740हे० व 300/0.1260हे० में से 0.0740हे० व 304/0.0500हे० में से 0.0250हे० कुल 38 किता कुल रकवा 2.1887 हे० भूमि के संक्रमणीय सहभूमिधार काम्प्यूटेन्ट लिटिड्स एण्ड डेवलपर्स द्वारा डा० विपिन कुमार पुत्र गोपाल निवासी 14 सिविल लाइन्स बरेली की उपरोक्त वादीय भूमि, जिस पर कृषि कार्य, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि कार्य नहीं हो रहा है। प्रशंगत भूमि के चारों तरफ बाउण्ड्रीवाल निर्मित है, को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (सशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा-80(2) के अन्तर्गत गैर कृषिक प्रयोजन हेतु उद्योचित किया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में दिये गये प्रयोजनो से इतर भूमि का उपयोग होता है या उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (सशोधन)

अधिनियम, 2019 की धारा-80(7) में उल्लिखित प्राविधानों- इस धारा के अधीन उप जिलाधिकारी द्वारा कोई घोषणा नहीं की जा सकती है, यदि उसका यह समाधान हो जाये कि भूमि या उसके आंशिक भाग का उपयोग, ऐसे प्रयोजन के लिये किया जा रहा है या किया जाना प्रस्तावित है, जिसके कारण लोक उपताप होना या लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा पर पतिकूल प्रभाव पड़ना सम्भावित हो या जो महायोजना में प्रस्तावित उपयोगों के विरुद्ध हो, एवं भविष्य में किसी भी विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर या सहयात्वारों द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की जाती है, का उल्लंघन होता है या अभिलेख असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः समाप्त होगा। वादी/आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 25.10.2023 एवं तहसीलदार सरदार, बरेली की आख्या दिनांक 10.08.2023 मय नजरी नकशा इस आदेश का अंग रहेगी। ह०र०क० 21.11.23/22.11.23

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद गस्त /चिक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण वही) हेतु खसरा संख्या पर हितक करें।

Disclaimer: उक्त ऑनलाइन अवलोकनार्थ हैं, उक्त वितरण अद्यतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी एस सी/लोकवाणी केन्द्र से उदरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal/CSC/tehsil Computer Centre.

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

24/June/2025 06:41:16 PM



भूखेख - खतौनी
राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश

श्रेणी : 1-क/भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरो के अधिकार में हो।

खसरा/ गाटा संख्या	खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
300	नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतियि (अवयस्क हेतु)	न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	वर्ष	कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखेख (गाटा) के वाद प्रस्त / विक्रय / भू-नक्शा / नामांतरण वही) हेतु खसरा संख्या पर विलोक करें।	गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे०)	हिस्से में	क्षेत्रफल में(हे०)	खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
	1) कम्प्यूटेन्ट-इन्फ्रानसिटीप्रा0लि0डा0 विनोद खण्डेवाल / आर.पी. खण्डेवाल / नि. बी 7 जगदीश पुरम विहार बरेली				0.1260			0.00

300 (13042703000000012)

कुल गाटे : एक

कुल क्षेत्रफल : शून्य दशमलव एक दो छह शून्य (हेक्टयर)

कुल भू-राजस्व : शून्य दशमलव शून्य शून्य रुपये

2) कम्प्यूटेन्ट स्टार क0प्रा0लि0डा0राजकुमार
खण्डेवाल / जगदीश सरन खण्डेवाल / नि. 116
सिविल लाइन्स बरेली

3) कम्प्यूटेन्ट-विल्डर्स एं. डेवलपर्स
राजकुमारखण्डेवाल / जगदीश सरन खण्डेवाल
/ नि. 116 सिविल लाइन्स बरेली

अधिनियम, 2019 की धारा-80(7) में उल्लिखित प्रावधानों- इस धारा के अधीन उप जिलाधिकारी द्वारा कोई घोषणा नहीं की जा सकती है, यदि उसका यह समाधान हो जाये कि भूमि या उसके आंशिक भाग का उपयोग, ऐसे प्रयोजन के लिये किया जा रहा है या किया जाना प्रस्तावित है, जिसके कारण लोक उपताप होना या लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना सम्भावित हो या जो महायोजना में प्रस्तावित उपयोगों के विरुद्ध हो, एवं भविष्य में किसी भी विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर या सहायताओं द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की जाती है, का उल्लेख अस्त्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः समाप्त होगा। वादी/आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 25.10.2023 एवं तहसीलदार सदर, बरेली की आख्या दिनांक 10.08.2023 मस नजरी नक्शा इस आदेश का अंग रहेगी। ह०र०क० 21.11.23/22.11.23

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (शूकड (गाटा) के वाट गस्त /विक्रय /क्ष-नक्शा /नामांतरण वही) हेतु खसरा संख्या पर बिलक करें।

Disclaimer: उक्त आँकड़े मात्र अवलोकनार्थ हैं. उक्त विवरण अद्यतन है. तहसील कमप्यूटर केंद्र एवम सी एस सी/लोकवाणी केंद्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal/GSC/Tehsil Computer Centre.

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.



भूलेख - खतौनी
राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश

उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

24/June/2025 06:39:47 PM

जनपद : बरेली

तहसील : बरेली

ग्राम : नरियावल

ग्राम कोड : 130427

फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024)

खता संख्या : 00124

श्रेणी : 1-क/भूमि जो संक्रमणीय भूमिधारों के अधीकार में हो।

खसरा/ गाटा संख्या	खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश	
	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे०)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में(हे०)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व	
298	1) काम्पिटेन्ट इन्फ्रासिटी प्रा० लि० डा० विनोद खण्डेवाल / आर.पी. खण्डेवाल / नि. बी 7 जगदीश पुरम विहार बरेली 2) काम्पिटेन्ट स्टार क० प्रा० लि० डा० राजकुमार खण्डेवाल / जगदीश सरन खण्डेवाल / नि. 116 सिविल लाइन्स बरेली 3) काम्पिटेन्ट बिल्डर्स एं. डेवलपर्स राजकुमार खण्डेवाल / जगदीश सरन खण्डेवाल / नि. 116 सिविल लाइन्स बरेली			298 (130427029800012)	0.1520	0.00		

कुल गाटे : एक

कुल क्षेत्रफल : शून्य दशमलव एक पांच दो शून्य (हेक्टेयर)

कुल भू-राजस्व : शून्य दशमलव शून्य शून्य रुपये

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण

खारिज किया गया

दर्ज किया गया

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम (पदनाम) / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	नाम/पिता-पति-संरक्षक-बंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	गाटे का खसरा नम्बर	क्षेत्रफल(हे०)	नाम/पिता-पति-संरक्षक-बंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	क्षेत्रफल(हे०)

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद की कम्प्यूटरीकृत संख्या

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक))

(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण :

- 1) 1429फं न्यायालय उपजिलाधिकारी मण्डल लखनऊ जनपद लखनऊ तहसील लखनऊ वाद सं० 81/2016 व कम्प्यूटरीकृत वाद सं० t202110460204032 कम्प्यूटेन्ट स्टार कन्स्ट्रक्शन प्रा०लि० वनाम उ०प्र०सरकार अंतर्गत धारा - 144 अधिनियम - उ०प्र०ज०वि०भ०व्य०अधिनियम 1950 दिनांक 23.12.21 को आदेश हुआ कि न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर बरेली द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.9.2014 विधिक एवं न्यायसंगत होने के कारण बहाल किया जाता है। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर बरेली द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.9.2014 इस आदेश का अंग रहेगा। ह०र०क० 15.1.22/15.1.22
- 2) 1429फं न्यायालय उपजिलाधिकारी मण्डल लखनऊ जनपद लखनऊ तहसील लखनऊ वाद सं० 84/2016 व कम्प्यूटरीकृत वाद सं० t202110460204036 कम्प्यूटेन्ट इन्फ्रासिटी प्रा०लि० वनाम उ०प्र०सरकार अंतर्गत धारा - 144 अधिनियम - उ०प्र०ज०वि०भ०व्य०अधिनियम 1950 दिनांक 23.12.21 को आदेश हुआ कि न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर बरेली द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.9.2014 विधिक एवं न्यायसंगत होने के कारण बहाल किया जाता है। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर बरेली द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.9.2014 इस आदेश का अंग रहेगा। ह०र०क० 15.1.22/15.1.22

- 3) 1431फं न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर बरेली। पत्रांक - 106/रा०अह० - 2023 दिनांक - 17.11.2023 वाद सं० - t2022121311014919 धारा - 80 उ०प्र०राजस्व संहिता 2006 ग्राम - नरियावल परतह० व जिला बरेली। कम्प्यूटेन्ट लि०ए०ड० वनाम उ०प्र०सरकार । तहसीलदार सदर बरेली । ग्राम नरियावल परगना व तहसील व जिला बरेली स्थित वादग्रस्त भूमि गाटा संख्या 37/0.3030हे० में से 0.0170हे० व 83/0.0630हे० में से 0.0030हे० व 85/0.0500हे० में से 0.0030हे० व 89/0.1580हे० में से 0.0100हे० व 92/0.0630हे० में से 0.0030हे० व 93/0.0880हे० में से 0.0050हे० व 179/0.1010हे० में से 0.0060हे० व 38/0.1260हे० में से 0.0280हे० व 51/1.8710हे० में से 0.1780हे० व 62/0.2180हे० में से 0.0727हे० व 70/0.1510हे० में से 0.0330हे० व 71/0.0250हे० में से 0.0060हे० व 72/0.0630हे० में से 0.0140हे० व 73/0.0880हे० में से 0.0140हे० व 74/0.1140हे० में से 0.0340हे० व 75/0.0760हे० में से 0.0250हे० व 107/0.1140हे० में से 0.0380हे० व 169/0.7080हे० में से 0.3750हे० व 170ख/0.1140हे० में से 0.0380हे० व 172/0.0760हे० में से 0.0310हे० व 265/0.0630हे० में से 0.0315हे० व 267/0.0630हे० में से 0.0315हे० व 298/0.1520 में से 0.0880हे० व 299/0.1260हे० में से 0.0740हे० में से 0.0250हे० व 304/0.0500हे० में से 0.0250हे० कुल रकबा 287/0.0380हे० में से 0.0220हे० व 297/ 0.1770हे० में से 0.1030हे० व 298/0.1520 में से 0.0880हे० व 299/0.1260हे० में से 0.0740हे० में से 0.0250हे० कुल रकबा 2.1887 हे० सम्बन्धी उपरोक्त वाद में इस न्यायालय के आदेश दिनांक - 9.11.2023 अनुसार निम्न आदेश पारित किया गया है - तहसीलदार सदर, बरेली की आख्या दिनांक 10.08.2023 से सक्त होते हुये ग्राम नरियावल परगना व तहसील व जिला बरेली स्थित वादग्रस्त भूमि गाटा संख्या 37/0.3030हे० में से 0.0170हे० व 83/0.0630हे० में से 0.0030हे० व 85/0.0500हे० में से 0.0030हे० व 89/0.1580हे० में से 0.0100हे० व 92/0.0630हे० में से 0.0030हे० व 93/0.0880हे० में से 0.0050हे० व 179/0.1010हे० में से 0.0060हे० व 38/0.1260हे० में से 0.0280हे० व 51/1.8710हे० में से 0.1780हे० व 62/0.2180हे० में से 0.0727हे० व 70/0.1510हे० में से 0.0330हे० व 72/0.0630हे० में से 0.0140हे० व 73/0.0880हे० में से 0.0140हे० व 74/0.1140हे० में से 0.0340हे० व 75/0.0760हे० में से 0.0250हे० व 107/0.1140हे० में से 0.0380हे० व 169/0.7080हे० में से 0.3750हे० व 170ख/0.1140हे० में से 0.0380हे० व 172/0.0760हे० में से 0.0310हे० व 265/0.0630हे० में से 0.0315हे० व 267/0.0630हे० में से 0.0315हे० व 298/0.1520 में से 0.0880हे० व 299/0.1260हे० में से 0.0740हे० में से 0.0250हे० कुल रकबा 2.1887 हे० भूमि के संक्रमणीय सभूमिधर कम्प्यूटेन्ट बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स द्वारा डा० विपिन कुमार पुत्र गोपाल निवासी 14 सिविल लाइन्स बरेली की उपरोक्त वादीय भूमि, जिस पर कृषि कार्य, मतस्य पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि कार्य नहीं हो रहा है। प्रथमतः भूमि के चारों तरफ बाउण्ड्रीवाल निर्मित है, को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा-80(2) के अन्तर्गत गैर कृषिक प्रयोजन हेतु उद्घोषित किया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में दिये गये प्रयोजनों से इतर भूमि का उपयोग होता है या उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन)

अधिनियम, 2019 की धारा-80(7) में उल्लिखित प्रावधानों- इस धारा के अधीन उप जिलाधिकारी द्वारा कोई घोषणा नहीं की जा सकती है, यदि उसका यह समाधान हो जाये कि भूमि या उसके आंशिक भाग का उपयोग, ऐसे प्रयोजन के लिये किया जा रहा है या किया जाना प्रस्तावित है, जिसके कारण लोक उपताप होना या लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना सम्भावित हो या जो महयोजना में प्रस्तावित उपयोगों के विरुद्ध हो, एवं भविष्य में किसी भी विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर या सहखालदारों द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की जाती है, का उल्लेख होता है या अभिलेख असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः समाप्त होगा। वार्ड/आवक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 25.10.2023 एवं तहसीलदार सदर, बरेली की आख्या दिनांक 10.08.2023 मय नजरी नक्शा इस आदेश का अंग रहेगी। हरंको० 21.11.23/22.11.23

कृपया उपर्युक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण नहीं) हेतु खसरा संख्या पर बिलक करे।

Disclaimer: उक्त ऑनलाइन अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अद्यतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी एस सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।
Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal/CSC/Tehsil Computer Centre.

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.



भूलेख - खतौनी
राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश

उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

24/June/2025 06:40:27 PM

जनपद : बरेली

शाम कोड : 130427

तहसील : बरेली

फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024)

ग्राम : नरियावल

खाता संख्या : 00124

श्रेणी : 1-क/भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरो के अधिकार में हो।

खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश	
			(4) वर्ष	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे०)	(7) हिस्से में क्षेत्रफल(हे०)	(8) क्षेत्रफल में(हे०)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व	
299	1) काम्पौटेन्टस्टरासिटीप्रा0डि0डि0 विनोद खण्डेवाल / आर.पी. खण्डेवाल / नि. बी 7 जगदीश पुरम विहार बरेली 2) काम्पौटेन्ट स्टरासिटीप्रा0डि0डि0 राजकुमार खण्डेवाल / जगदीश सरन खण्डेवाल / नि. 116 सिविल लाइन्स बरेली 3) काम्पौटेन्टस्टरासिटीप्रा0डि0डि0 डेवलपर्स राजकुमारखण्डेवाल / जगदीश सरन खण्डेवाल / नि. 116 सिविल लाइन्स बरेली			299 (1304270299000012)	0.1260	0.00		

कुल गाटे : एक

कुल क्षेत्रफल : शून्य दशमलव एक दो छह शून्य (हेक्टेयर)

कुल भू-राजस्व : शून्य दशमलव शून्य शून्य रुपये

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण

खारिज किया गया

दर्ज किया गया

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम (पदनाम) / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	गोटे का खसरा नम्बर / यूनिक कोड	क्षेत्रफल(हे०)	नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	गोटे का खसरा नम्बर / यूनिक कोड	क्षेत्रफल(हे०)

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद की कम्प्यूटरीकृत संख्या

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक))

(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण :

1) 1429क० न्यायालय उपजिलाधिकारी मण्डल लखनऊ जनपद लखनऊ तहसील लखनऊ वाद सं० 81/2016 व कम्प्यूटरीकृत वाद सं० 1202110460204032 काम्प्यूटरीकृत स्टार कन्स्यूटरीकृत वाद सं० 144 अधिनियम - 3०प्र०ज०वि०भू०व्य०अधिनियम 1950 दिनांक 23.12.21 को आदेश हुआ कि न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर बरेली द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.9.2014 विधिक एवं न्यायसंगत होने के कारण बहाल किया जाता है। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर बरेली द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.9.2014 इस आदेश का अंग रहेगा। ह०र०क० 15.1.22/15.1.22

2) 1429क० न्यायालय उपजिलाधिकारी मण्डल लखनऊ जनपद लखनऊ तहसील लखनऊ वाद सं० 84/2016 व कम्प्यूटरीकृत वाद सं० 1202110460204036 काम्प्यूटरीकृत स्टार कन्स्यूटरीकृत वाद सं० 144 अधिनियम - 3०प्र०ज०वि०भू०व्य०अधिनियम 1950 दिनांक 23.12.21 को आदेश हुआ कि न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर बरेली द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.9.2014 विधिक एवं न्यायसंगत होने के कारण बहाल किया जाता है। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर बरेली द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.9.2014 इस आदेश का अंग रहेगा। ह०र०क० 15.1.22/15.1.22

3) 1431क० न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर बरेली। पत्रांक - 106/रा०अह० - 2023 दिनांक - 17.11.2023 वाद सं० - 12022121311014919 धारा - 80 3०प्र०ज०वि०भू०व्य०अधिनियम 1950 दिनांक 23.12.21 को आदेश हुआ कि न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर बरेली द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.9.2014 विधिक एवं न्यायसंगत होने के कारण बहाल किया जाता है। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर बरेली द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.9.2014 इस आदेश का अंग रहेगा। ह०र०क० 15.1.22/15.1.22

3) 1431क० न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर बरेली। पत्रांक - 106/रा०अह० - 2023 दिनांक - 17.11.2023 वाद सं० - 12022121311014919 धारा - 80 3०प्र०ज०वि०भू०व्य०अधिनियम 1950 दिनांक 23.12.21 को आदेश हुआ कि न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर बरेली द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.9.2014 विधिक एवं न्यायसंगत होने के कारण बहाल किया जाता है। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर बरेली द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.9.2014 इस आदेश का अंग रहेगा। ह०र०क० 15.1.22/15.1.22

3) 1431क० न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर बरेली। पत्रांक - 106/रा०अह० - 2023 दिनांक - 17.11.2023 वाद सं० - 12022121311014919 धारा - 80 3०प्र०ज०वि०भू०व्य०अधिनियम 1950 दिनांक 23.12.21 को आदेश हुआ कि न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर बरेली द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.9.2014 विधिक एवं न्यायसंगत होने के कारण बहाल किया जाता है। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर बरेली द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.9.2014 इस आदेश का अंग रहेगा। ह०र०क० 15.1.22/15.1.22

3) 1431क० न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर बरेली। पत्रांक - 106/रा०अह० - 2023 दिनांक - 17.11.2023 वाद सं० - 12022121311014919 धारा - 80 3०प्र०ज०वि०भू०व्य०अधिनियम 1950 दिनांक 23.12.21 को आदेश हुआ कि न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर बरेली द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.9.2014 विधिक एवं न्यायसंगत होने के कारण बहाल किया जाता है। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर बरेली द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.9.2014 इस आदेश का अंग रहेगा। ह०र०क० 15.1.22/15.1.22

अधिनियम, 2019 की धारा-80(7) में उल्लिखित प्रावधानों- इस धारा के अधीन उप जिलाधिकारी द्वारा कोई घोषणा नहीं की जा सकती है, यदि उसका यह समर्थान हो जाये कि भूमि या उसके आंशिक भाग का उपयोग, ऐसे प्रयोजन के लिये किया जा रहा है या किया जाना प्रस्तावित है, जिसके कारण लोक उपताप होना या लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना सम्भावित हो या जो महायोजना में प्रस्तावित उपयोगों के विरुद्ध हो, एवं भविष्य में किसी भी विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर या सहखतदारों द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की जाती है, का उत्तराधान होता है या अभिलेख असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः समाप्त होगा। वादी/आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 25.10.2023 एवं तहसीलदार सदर, बरेली की आख्या दिनांक 10.08.2023 मय नजरी नकशा इस आदेश का अंग रहेगी। ह०र०क० 21.11.23/22.11.23

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (शूखड (वाटा) के वाद ग्रस्त/विक्रय/भू-नकशा/नामांतरण वही) हेतु खसरा संख्या पर विलक करें।

Disclaimer: उक्त ऑफ़ेड मात्र अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अद्यतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी एस सी/लोकवाणी केन्द्र से उदरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal/CSC/Tehsil Computer Centre.

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

